बजट, 2004-2005

क्रम सं.	पैरा स.	घोषणा का सार	की गई कार्रवाई
1.	**7**	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन मैं 2007-08 तक राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए बाध्य हूं। तथापि, राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह प्रस्तावित है कि हम 2008-09 तक ऐसा करें। मेरे विचार में इसके लिए 2008-09 अधिक विश्वसनीय आखिरी वर्ष है। यह वर्ष इस सरकार के कार्यकाल से भी मेल खाता है। अतः मैं वित्त विधेयक के माध्यम से इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को कार्यान्वित करने के प्रति कटिबद्ध हूं। राजकोषीय घाटे की समाप्ति से राजकोषीय सक्षमता पर प्रतिकूल असर डाले बिना बढ़े हुए सार्वजनिक निवेश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत तक की राजकोषीय वृद्धि हो जाएगी।	अब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है। राजस्व घाटा समाप्त करने का लक्षित वर्ष 2008-09 होगा।
2.	**11**	मेरे पास हमारे प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के विद्वतापूर्ण मार्गदर्शन का लाभ है। हमारी कार्ययोजना में गरीब का स्थान सर्वोपरि होगा - न केवल 10,000 करोड़ रुपए की सकल बजट सहायता की अतिरिक्त राशि पर जिसे उपलब्ध कराने का प्रस्ताव आज मैं करता हूं वरन उन समूची आयोजना निधियों पर भी जिन्हें योजना आयोग पुनःआवंटित करेगा।	केन्द्रीय सहायता प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के मध्य अतिरिक्त सकल बजटीय सहायता का आवंटन और राज्यों को विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और मंत्रालयों तथा विभागों से परामर्श कर राज्यवार आवंटनों को अंतिम रूप दिया गया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
3.	**12**	गरीब लोग अपने बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा चाहते हैं। हम इसकी व्यवस्था करेंगे और हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा कम से कम आठ साल तक विद्यालय में रहे।	सर्वशिक्षा अभियान के कार्यान्वयन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन का गठन दिसम्बर, 2004 में किया गया है। इस अभियान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 साल तक विद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य पूरा करेंगे। वर्ष 2004-05 के दौरान, 3,057 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के अतिरिक्त, 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट 2004 में लगाए गए शिक्षा उपकर की प्राप्तियों को प्राप्त करने हेतु एक व्यपगत न होने वाले "प्रारंभिक शिक्षा कोष" का गठन किया जा रहा है।
		हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा जब विद्यालय में रहे तो वह भूखा न रहे।	"प्राथमिक शिक्षा से संबद्ध राष्ट्रीय पौषणिक सहायता कार्यक्रम" को वर्ष 2004-05 के दौरान लगभग 11 करोड़ प्राथमिक विद्यालयों के स्कूली बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु संशोधित कर दिया गया है। मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को भोजन पकाने की लागत की पूर्ति करने हेतु प्रति स्कूली दिवस 1 रुपए प्रति बच्चे की दर से केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			वर्ष 2004-05 में इस योजना हेतु 1,675 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के अलावा योजना को संशोधन किए जाने के परिप्रेक्ष्य में 1,232 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।
		गरीबों को पेयजल चाहिए, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक बस्ती में पेयजल का एक निश्चित स्रोत हो।	इस समय 95.33 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को पूर्णतया पेयजल सुविधाएं उपलब्ध हैं, 4.25 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आंशिक तौर पर कवर है और 0.39 प्रतिशत को कवर नहीं किया गया है। संपूर्ण आबादी को पेयजल के आश्वासित स्रोत उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। वर्ष 2004-05 के दौरान (दिनांक 4.2.05 तक) 31,355 ग्रामीण आबादी को कवर किया गया था।
		गरीब बुनियादी स्वास्थ्य परिचर्या, वाजिब मूल्यों पर दवाएं और उचित दूरी पर डाक्टर चाहते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त मानवीय और वित्तीय संसाधन हों।	दिनांक 1.4.2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव है।
		गरीब अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं; हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्चतर निवेशों के माध्यम से और लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाए।	"सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना" कार्यान्वयन के अधीन है। बजट 2004-05 में ग्रामीण इलाकों हेतु 4500 करोड़ रुपए नकद तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु 50 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। इस आवंटन के विरुद्ध, ग्रामीण इलाकों हेतु चालू वर्ष के दौरान दिनांक 25.1.2005 तक 3,620.79 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं तथा 43.60 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न अतिरिक्त मजदूरी रोजगार सृजन हेतु प्राधिकृत किया गया है। दिनांक 30.11.2004 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 45.45 करोड़ मानव दिवसों का सृजन किया गया है।
4.	**13**	हालांकि योजना आयोग अंतिम आवंटन करेगा, मैं सदन को यह आश्वस्त कर दूं कि अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जैसे कि काम के बदले अनाज, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन स्कीम, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, रेलवे आधुनिकीकरण एवं सुरक्षा, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, पेयजल, कृषि में निवेश, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण सुख सुविधाओं के प्रावधान, सड़कें तथा जैव प्रौद्योगिकी सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी जाएगी और उनके लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।	विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां स्वीकृत तथा आबंटित कर दी गई हैं। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
5.	**14**	अन्त्योदय अन्न योजना - मैं अन्त्योदय अन्न योजना को जारी रखने और उसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। इस समय 1.5 करोड़ परिवार इस योजना	अन्य बातों के साथ-साथ भूख की आशंका वाले बड़े परिवारों के साथ ही अन्य 50 लाख गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों तक अन्त्योदय अन्न योजना का विस्तार कर

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		से लाभान्वित हैं। इन परिवारों को 2 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं और 3 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के अत्यधिक सब्सिडीयुक्त मूल्य पर प्रति माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। 2003-04 में स्कीम के अंतर्गत 20.76 लाख टन चावल और 17.48 लाख टन गेहूं वितरित किया गया। चालू वर्ष में, मैं 2 करोड़ परिवारों को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे आशा है कि चावल और गेहूं के उठाव में बढ़ोतरी होगी। इसके परिणामस्वरूप, अन्त्योदय अन्न योजना को लगभग 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस व्यय के लिए 25,800 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी के आवंटन में प्रावधान रखा गया है।	दिया गया है। इससे संबंधित दिशानिर्देश दिनांक 3.8.2004 को जारी कर दिए गए हैं। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
6.	**15**	उचित मूल्य की दुकानें निर्धन वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। हम इस प्रणाली में मौजूदा कमजोरियों को दूर करेंगे तथा लोक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाएंगे। मैं कुछ देर बाद, इस विषय पर फिर से चर्चा करूंगा।	प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
7.	**16**	**काम के बदले अनाज कार्यक्रम** - निवेश तथा विकास से युवा पुरुषों और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। यद्यपि, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बेरोजगारी से निर्धन लोगों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर कार्य आरंभ किया जा चुका है। इसका उद्देश्य, प्रत्येक निर्धन परिवार के एक स्वस्थ व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। इस विधेयक के संदर्भ में महाराष्ट्र में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार सम्मानीय समीक्षकों द्वारा इंगित जोखिमों से बचने की तरफ भी ध्यान देगी। मेरे साथी, श्रम मंत्री जी, को आशा है कि वह इस विधेयक को शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत कर देंगे।	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक को दिनांक 21.12.2004 को लोक सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है।
		इस नए कानून को अधिनियमित किए जाने तक, मेरा सर्वाधिक पिछड़े वर्गीकृत 150 जिलों, जिन्हें ऐसे कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता है के रूप में पहचाना गया है, में एक नया काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है। विभिन्न स्कीमों के आवंटनों को एकत्रित करके काम के बदले अनाज कार्यक्रम को सहायता प्रदान की जाएगी। एसजीआरवाई, एसजीएसवाई, एसजेएसआरवाई, आरईजीपी तथा	नवम्बर, 2004 में "काम के बदले अनाज राष्ट्रीय कार्यक्रम" नामक एक नए कार्यक्रम को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में प्रारम्भ किया गया था। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		पीएमआरवाई के अंतर्गत कुल 6000 करोड़ रुपए से अधिक की पर्याप्त निधियां उपलब्ध हैं। ऐसे कार्य के लिए मांग के आधार पर चालू वर्ष के दौरान और अधिक निधियों का आवंटन किया जाएगा। मुझे आशा है कि अगले चार वर्षों के दौरान इन आवंटनों में काफी वृद्धि की जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए मार्गनिर्देश निर्धारित करते समय विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि धन और श्रम के व्यय के परिणामस्वरूप स्थायी तथा स्पष्ट परिसंपत्तियों का सृजन हो जिससे सारे समुदाय को लाभ पहुंचे।	
8.	**19**	**स्वयं-सहायता समूह** - सूक्ष्म वित्त संबंधी पहल, बैंकिंग प्रणाली को निर्धन लोगों तक पहुंचाने का किफायती माध्यम होती है। 1992 में आरंभ किया गया स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) - बैंक संपर्क कार्यक्रम एक लंबी दूरी तय कर चुका है। 31 मार्च, 2004 तक, बैंकों द्वारा वित्तपोषित 10.79 लाख स्वयं-सहायता समूहों के माध्यम से 1.67 करोड़ परिवारों ने लाभ उठाया। जबकि एसएचजी अवधारणा को सक्रियता से आगे बढ़ाया जाएगा, मेरा मानना है कि विकसित स्वयं-सहायता समूह अब ऐसी स्थिति में होंगे कि वे अब उपभोक्ता अथवा उत्पादन संबंधी ऋण से लघु उद्यम आरंभ करने के स्तर पर आ सकते हैं। नाबार्ड, सिडबी, बैंकों तथा अन्य एजेंसियों के लिए 31 मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए 5.85 लाख स्वयं-सहायता समूहों के साथ ऋण संपर्क बनाने का निश्चयात्मक लक्ष्य निर्धारित किया गया है।	5.85 लाख स्वयं-सहायता समूहों को जोड़ने संबंधी वर्षवार योजना इस प्रकार तैयार की गई है - 2004-05 = 1.85 लाख स्वयं-सहायता समूह 2005-06 = 2.00 लाख स्वयं-सहायता समूह 2006-07 = 2.00 लाख स्वयं-सहायता समूह वर्ष 2004-05 के दौरान 1.85 लाख स्वयं-सहायता समूहों को जोड़ने के लक्ष्य के मुकाबले दिनांक 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार 1,96,944 समूहों को पहले ही 1,134.02 करोड़ रुपए के बैंक ऋण की सुविधा से जोड़ दिया गया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
9.	**22**	मेरी विभिन्न योजनाओं में, कोई मुद्दा इतना अधिक प्राथमिकता का नहीं है जितना कि सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सरकार को शिक्षा उपकर लगाने हेतु आदेश दिया गया है। मैं 2 प्रतिशत का उपकर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नए उपकर से संपूर्ण वर्ष में लगभग 4000-5000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। उपकर के रूप में संग्रहित की गई इस संपूर्ण राशि को शिक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा जिसमें स्वाभाविक है कि पोषक पका मध्याह्न भोजन का प्रावधान भी शामिल होगा। यदि प्राथमिक शिक्षा तथा पोषक पके भोजन की योजना साथ-साथ चले तो मुझे विश्वास है कि भारत के गरीब बच्चों के लिए एक नए सवेरे का आगमन होगा।	सीमा शुल्कों, उत्पाद शुल्कों और सेवा करों के कुल शुल्कों के 2 प्रतिशत की दर पर शिक्षा कर लगाया गया था। हालांकि सीमा शुल्कों और उत्पाद शुल्कों के संबंध में लगाया गया कर दिनांक 9.7.2004 से, सेवा कर के संबंध में दिनांक 10.9.2004 से वित्त अधिनियम, 2004 के अधिनियम के बाद प्रभावी हो गया है। प्रत्यक्ष करों के तहत, अधिभार सहित, आयकर के 2 प्रतिशत की दर पर आकलित सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा प्रदान करने तथा उसका वित्तपोषण करने के लिए एक अतिरिक्त अधिभार, जिसे "आयकर पर शिक्षा उपकर" कहा गया है, लगाया गया था। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
10.	**23**	**शिक्षा** - मैं देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिन्तित हूं। भले ही मुझे गलत समझा जाए,	अब तक 15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1.6 करोड़ की लागत पर 67 आईटीआई को उच्च स्तर प्रदान करने हेतु सहमत हुए

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		लेकिन मैं आईआईटी के बारे में नहीं बल्कि आईटीआई के संबंध में उल्लेख कर रहा हूं। आईटीआई, दक्ष जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण का आधार है। आईटीआई द्वारा प्रदान की गई दक्षता को उद्योग की प्रौद्योगिक मांगों के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए और ज्ञान की व्यापकता को विस्तारित करना चाहिए। हमारे तकनीशियनों का केवल एक ही मानदंड है - और वह है विश्व मानदंड। विश्व मानदंड के अनुरूप तकनीशियनों को तैयार करने के लिए, सरकार का केन्द्रीय क्षेत्र में आगामी 5 वर्षों में 500 आईटीआई को प्रतिवर्ष 100 आईटीआई के हिसाब से उन्नयन करने संबंधी कार्यक्रम को संचालित करने का प्रस्ताव है। उपयुक्त आधारभूत ढांचा तथा उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी, पाठ्यक्रम का उन्नयन किया जाएगा और नए व्यवसाय प्रारंभ किए जाएंगे। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां मैं वाणिज्य और उद्योग चैम्बर का सरकार को सहयोग प्रदान करने और स्कीम के निर्माण तथा कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी के मॉडल को तैयार करने के लिए स्वागत करता हूं। आईटीआई का चयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके किया जाएगा।	हैं जो भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच प्रत्येक के संबंध में 75:25 लागत भागीदारी आधार पर होगी। उद्योग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के उन्नयन, संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता देने, विद्यार्थियों को पर्याप्त शॉप फ्लोर प्रशिक्षण के अवसरों को प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है। उद्योग की बेहतर भागीदारी का पता लगाया जाएगा।
11.	**24**	अप्रैल, 2001 से शैक्षणिक ऋण योजना चालू है जिसके तहत देश में तथा विदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु क्रमशः 7.50 लाख रुपए तथा 15 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध है। संपार्श्विक ऋण की इस अपेक्षा को 4 लाख रुपए तक के ऋणों के संबंध में समाप्त कर दिया गया था। मुझे यह कहने में प्रसन्नता हो रही है कि वाणिज्यिक बैंक अब 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की संपार्श्विक आवश्यकता को यदि विद्यार्थी की ओर से संतोषप्रद गारंटी प्रदान की जाती है, माफ करने पर सहमत हो गए हैं। इस प्रकार किसी भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जिसमें आईआईटी, आईआईएम पाठ्यक्रम तथा मेडिकल कालेज भी शामिल हैं, में प्रवेश लेने वाला कोई छात्र धन की कमी की वजह से शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं रहेगा।	इस संबंध में अनुदेश दिनांक 23.7.2004 और 31.8.2004 को भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
12.	**25**	**स्वास्थ्य** - गरीबों को चिकित्सा देखभाल आसानी से उपलब्ध नहीं है। अभी प्रचलित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (यूएचआईएस) गरीबों से इतर लोगों के पक्ष में बनाई गई है। इसके परिणामस्वरूप गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे केवल थोड़े से परिवार - वास्तव में मई, 2004 तक 11,408 - इसके अंतर्गत आते हैं। यद्यपि किश्तें कम हैं परन्तु बीपीएल परिवार इन किश्तों के भुगतान की अपनी असमर्थता के कारण	पुनर्संरचित सार्वभौम स्वास्थ्य बीमा योजना दिनांक 20 सितम्बर, 2004 को शुरु की गई थी। दिनांक 31 जनवरी, 2005 की स्थिति अनुसार 96,275 व्यक्तियों को कवर करते हुए कुल 34,069 परिवारों को 128.65 लाख प्रीमियम सहित कवर किया गया। इस संबंध में हुई प्रगति की मॉनीटरिंग की जा रही है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		इस स्कीम से बचते दिखाई देते हैं। अपनी इस वर्तमान संरचना में यह स्कीम चल सकने वाली नहीं है। अतः मैं स्कीम को पुनः तैयार करने और इसे गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों एवं परिवारों के लिए पूर्ण रूप से बनाने का प्रस्ताव करता हूं। लाभ में किसी कटौती के बिना संशोधित किश्त व्यक्तियों के लिए 165 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 248 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए 330 रुपए होगी। किश्त में कटौती को पूरा करने के लिए मैं किश्त (प्रीमियम) सब्सिडी वर्तमान 100 रुपए से बढ़ाकर व्यक्ति के लिए 200 रुपए, पांच सदस्यीय परिवार के लिए 300 रुपए और सात सदस्यीय परिवार के लिए 400 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। पूरे वर्ष में राजकोष पर 40 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। यदि धनराशि का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए तो बीमाशुदा व्यक्तियों की संख्या लगभग 10 लाख हो जाएगी।	
13.	**26**	उपर्युक्त के अलावा, मैं सरकारी क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से एक नई सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके बीमाशुदा व्यक्ति स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और अन्य ऋण संबद्ध समूहों (सीएलजी) के सदस्य होंगे जो बैंकों या सहकारी संस्थाओं से ऋण लेते हैं। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति किश्त 120 रुपए की होगी परन्तु बीमा कवर 10,000 रुपए की धनराशि का होगा।	स्वास्थ्य बीमा योजना नवम्बर, 2004 में शुरू हो गई थी। दिनांक 31 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत निन्यानवे (99) व्यक्तियों को शामिल किया गया है। इस संबंध में हुई प्रगति की मॉनीटरिंग की जा रही है।
14.	**27**	राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम तीव्रीकृत एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की आवश्यकता पर भी उचित रूप से जोर देता है। एचआईवी/एड्स की वृद्धि शून्य स्तर पर लाने के लिए साहसिक एवं दृढ़-निश्चयात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता होगी। इनमें अधिक प्रहरी स्थलों की स्थापना के जरिए उन्नत निगरानी और एचआईवी/एड्स की मानीटरिंग के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग, जन-जागरूकता अभियान, कंडोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध को बढ़ावा देना, नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम तथा नष्ट की जाने वाली सुइयों (सिरिंजेज) का वितरण शामिल होगा। एचआईवी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए 259 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम ने 215 निगरानी स्थलों की स्थापना कर दी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के कार्यान्वयन और मानिटरिंग के लिए प्रशिक्षित कर दिया गया है, कंडोम की निशुल्क आपूर्ति और सामाजिक विपणन स्कीमों के जरिए इनके प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और एचआईवी/एड्स के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने के लिए इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, फोक एंड आऊटडोर मीडिया, सलाह और घटनाओं के माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। सुइयों की अदला-बदली की नीति के तहत शिराओं के जरिए नशीली दवाएं (इंट्रावीनस ड्रग्स) लेने वालों को नष्ट की जा सकने वाली सिरिंजें और सुइयां सप्लाई की जा रही हैं। चालू वर्ष के दौरान 259 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। कार्यक्रम के लिए वर्तमान वर्ष में अलग से 217 करोड़ रुपए की राशि भी प्राप्त हुई है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
15.	**30 और 31**	मेरी मंशा है कि तीन वर्षों में कृषि ऋण का प्रवाह दुगुना हो जाए। हमने 18 जून, 2004 को कृषि ऋण संबंधी व्यापक नीति की घोषणा कर इस दिशा में शुरुआत की है। इस नीति के संबंध में अच्छी प्रतिक्रिया हुई है और यदि आवश्यक हो तो इसे और व्यवस्थित रूप दिया जाएगा। सरकार ने इस नीति के कार्यान्वयन का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों को सौंपा है।	दिनांक 18.6.2004 को एक कृषि ऋण पैकेज की घोषणा की गई है जिसमें 3 वर्ष में कृषि ऋण को दुगुना करने और वर्ष 2004-05 के दौरान संवितरण में 30 प्रतिशत की वृद्धि करने का अनुमान लगाया गया था। तद्नुसार, वर्ष 2004-05 के दौरान 1045.00 करोड़ रुपए की राशि के कृषि ऋणों के संवितरण का लक्ष्य रखा गया है। दिनांक 31.12.2004 तक हुई प्रगति यह इंगित करती है कि 85,685.90 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। (निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित आंकड़े 30 सितम्बर, 2004 तक के हैं)।
16.	**32**	प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक प्रायोजक बैंक है। मेरा प्रस्ताव है कि प्रत्येक प्रायोजक बैंक अपने अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य निष्पादन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो प्रशासन संबंधी नए मानदण्डों को अपनाएंगे तथा जो नीतिगत नियमों का पालन करेंगे, वे बैंक अपने पुनगर्ठन के लिए सरकार से निधियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।	प्रायोजक बैंकों को कहा गया है कि वे उनके नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य निष्पादन के लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। प्रायोजक बैंकों को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के संबंध में दिशा-निर्देश पहले से ही जारी किए जा चुके हैं। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
17.	**33**	**ऋण** - कृषि संबंधी ऋण प्रदान करने का तीसरा माध्यम सहकारी बैंक प्रणाली है। जब तक सहकारी बैंक मजबूत और ऋण-देने योग्य नहीं होंगे तब तक ऋण के जरुरतमंद प्रत्येक किसान तक ऋण पहुंचाना संभव नहीं होगा। स्थिति बहुत गंभीर है। एक स्थायी हल निकालने की दृष्टि से, मैं एक कार्यबल नियुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं जो सहकारी बैंकिंग प्रणाली, जिसमें समुचित विनियामक तंत्र भी शामिल है, में अपेक्षित सुधारों का अध्ययन करेगा। इस कार्यबल से अनुरोध किया जाएगा कि वह बहुत तेजी से अपना कार्य करे तथा अपनी रिपोर्ट 31 अक्तूबर, 2004 तक प्रस्तुत कर दे।	सहकारी ऋण व्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु एक कार्य योजना की संस्तुति तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया था और इस कार्यबल ने अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना पर दिनांक 5.1.2005 को अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे वैबसाइट पर टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु रख दिया गया है। अंतिम रिपोर्ट की फरवरी, 2005 के दौरान प्रस्तुत किए जाने की आशा है। इसी कार्यबल को आदेश दिनांक 31.1.2005 द्वारा कृषि तथा ग्रामीण विकास के संबंध में दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिशें प्रदान करने का कार्य भी सौपा गया था। कार्यबल को अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.6.2005 तक प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है।
18.	**34**	**सिंचाई, ग्रामीण अवसंरचना** - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) को 1996-97 में आरम्भ किया गया था तथा वर्ष-दर-वर्ष इसे बड़े पैमाने पर निधियां प्रदान की गई। फिर भी 178 बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जिनकी पहचान की गई थी, में से केवल 28 परियोजनाएं ही पूरी हो पाई हैं। इस कार्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है। समाप्ति के कगार पर ऐसी परियोजनाओं, जो मार्च, 2005 तक पूरी हो जाएंगी, को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं, जिन्हें मार्च, 2006 तक पूरा किया जा सकता है, को भी चालू वर्ष में शामिल कर लिया जाएगा। अगले वर्ष, हम इस	सरकार ने वर्ष 2004-05 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता प्राप्त कर रही 37 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान 46 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहचान की है। अब तक किए गए आकलन के अनुसार, 37 परियोजनाओं के 2004-05 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है जिनमें से दो परियोजनाओं को पहले ही पूर्ण कर लेना सूचित किया गया है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		लक्ष्य को बढ़ा कर मार्च, 2007 कर देंगे, उससे अगले वर्ष उस लक्ष्य को मार्च, 2008 कर देंगे तथा इसी प्रकार यह आगे बढ़ता जाएगा। मैंने इस वर्ष इस कार्यक्रम के लिए 2800 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।	
19.	**35**	ग्रामीण अवंसरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) की स्थापना नाबार्ड में 1994-95 में की गई थी। पांच महीने पहले आरआईडीएफ को बंद करके कुछ अलग उद्देश्य वाली एक अन्य निधि की स्थापना की गई। कुछ राज्य सरकारों तथा बहुत से माननीय सदस्यों ने आरआईडीएफ को बंद करने का विरोध किया था। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए तथा मेरी अपनी सोच के अनुसार, मैंने आरआईडीएफ को फिर से आरम्भ करने का निर्णय लिया है। इस निधि के मार्गनिर्देशों को संशोधित किया गया है तथा 2004-05 के दौरान आरआईडीएफ के लिए 8000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि प्रदान की जाएगी।	आरआईडीएफ को अब वर्ष 2004-05 के लिए 8,000 करोड़ रुपए की संचित राशि से पुनः शुरु किया गया है। इसमें शामिल किए गए कार्यकलापों की सूची में छह नए कार्यकलापों को जोड़ा गया है। 31.01.2005 तक 5,036.07 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और आरआईडीएफ-X के तहत 101.12 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
20.	**37 और 38**	**जल निकायों की पुनः स्थापनाः** इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि कृषि से जुड़े सभी जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुनः स्थापना के लिए एक बड़ी योजना आरम्भ की जाए। चालू वर्ष के दौरान, हम कम से कम पांच जिलों में प्रायोगिक योजनाओं से शुरुआत करेंगे तथा हम देश के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक में कम से कम एक जिले का चयन करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। इन पांच प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए एसजीआरवाई, पीएमजीएसवाई, डीपीएपी, डीडीपी तथा आईडब्ल्यूडीपी जैसे मौजूदा कार्यक्रमों से निधियों को निकाला जाएगा। एक बार प्रायोगिक परियोजनाओं के पूरा हो जाने तथा प्रामाणिक हो जाने के पश्चात, सरकार राष्ट्रीय जल संसाधन विकास परियोजना को आरम्भ कर देगी तथा 7 से 10 वर्ष की अवधि में इसे पूरा कर लेगी। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधियों से संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी। उदाहरण के लिए, भारतीय जीवन बीमा निगम प्रत्येक वर्ष औसत 3000 करोड़ रुपए की राशि जल संबंधी कार्यक्रमों में निवेश करता हैं। मेरा इरादा, निधिकरण के लिए इस परियोजना को बहुपक्षीय एजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने का भी है। मुझे आशा है कि आगामी दशक के प्रारम्भ होने तक भारत के सभी जल निकायों को उनकी मूल गरिमा के साथ पुनःस्थापित कर दिया जाएगा तथा	प्रायोगिक योजना "कृषि से प्रत्यक्ष सम्बद्ध जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनः स्थापना पर राष्ट्रीय योजना" को सरकार ने 27 जनवरी, 2005 को अनुमोदित कर दिया था। चालू वर्ष के दौरान वित्तपोषण हेतु नौ राज्यों के 16 जिलों के लिए परियोजनाओं का चयन कर लिया गया है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		इन जल निकायों की भंडारण क्षमता को कम से कम 100 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा।	
21.	**39**	***जल संचयन*** किसी क्षेत्र या गांव के लिए विशिष्ट जल संचयन योजनाएं अत्यधिक उपयोगी पाई गई हैं। ये योजनाएं अनेक ऋण संस्थाओं द्वारा समर्थित होती हैं। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ऐसी योजनाओं का लाभ विरले ही मिलता है। इन किसानों की मदद करने के उद्देश्य से सरकार एक राष्ट्रव्यापी जल संचयन योजना शुरु करेगी। इस योजना में प्रति यूनिट 20,000 रुपए की औसत लागत पर एक लाख सिंचाई यूनिटें शामिल की जाएंगी नाबार्ड आसान शर्तों पर ऋण देगा और उधारकर्ता से कोई मार्जिन राशि प्रभारित नहीं की जाएगी, सरकार नाबार्ड के माध्यम से 50 प्रतशित पूंजी सब्सिडी प्रदान करेगी और योजना के लिए अनुमान 100 करोड़ रुपए है।	आगामी तीन वर्षों के दौरान 100 करोड़ रूपए की अनुमानित सब्सिडी राशि के साथ इस योजना को नाबार्ड द्वारा पहले ही आरम्भ किया जा चुका है जिसके लिए पहले वर्ष 20 करोड़ रूपए, दूसरे वर्ष 40 करोड़ रूपए तथा तीसरे वर्ष 40 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। यह एक प्रतिपूर्ति-योजना है तथा समय आने पर राज्य सरकारों से प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त किए जाएंगे। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के लिए वास्तविक कार्यक्रम क्रमशः 20,000, 40,000 और 40,000 यूनिटें हैं। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
22.	**40**	***बाढ़ नियंत्रण*** प्रति वर्ष बाढ़ के कारण हजारों की संख्या में व्यक्तियों व पशुओं की जानें जाती हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ का प्रकोप होता है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में अन्तर्राज्यीय नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय नदियों पर बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए पूर्ण केन्द्रीय सहायता परिकल्पित है। ब्रहमपुत्र बोर्ड ने ब्रहमपुत्र और बराक घाटियों में भूक्षरण-रोधी और बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए एक योजना तैयार की है। बाढ़ नियन्त्रण और भूक्षरण-रोधी कार्यक्रम चालू वर्ष में शुरु किया जाएगा। उत्तराचंल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों के गंगा-बेसिन में इसी तरह का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। चालू वर्ष में 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और कार्य की प्रगति के अनुसार अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।	बाढ़ प्रबंधन तथा भूक्षरण नियंत्रण हेतु लघु आवधिक और दीर्घावधिक उपाय सुझाने, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का निरीक्षण करने तथा बाढ़ संबंधी समस्याओं के निपटान के लिए संस्थागत व्यवस्था संबंधी सुझाव देने के लिए असम तथा पड़ोसी राज्यों के साथ-साथ बिहार, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में बार बार आने वाली बाढ़ और भूक्षरण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए गठित कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में बाढ़ नियंत्रण तथा भूक्षरण रोधी कार्यक्रम के संबंध में राज्य क्षेत्र की एक योजना 24 नवम्बर, 2004 को अनुमोदित की गई थी। गंगा-बेसिन में बाढ़ नियंत्रण तथा भूक्षरण रोधी कार्यों तथा तटबंधों के निर्माण और उनके सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना पहले ही कार्यान्वित की जा रही है जिसकी अनुमानित लागत 178.85 करोड़ रूपए है जिसमें 136.17 करोड़ रूपए केन्द्र के हिस्से के रूप में हैं तथा इसके अंतर्गत बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराचंल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त फरक्का बराज के आस-पास भूक्षरण रोधी कार्यों के लिए फरक्का बराज परियोजना प्राधिकरणके लिए भी धनराशि निर्धारित की गई है।
23.	**41**	***विविधीकरण*** भारत गेहूं और धान में आत्म निर्भर है परन्तु अन्य कृषि उपजों में कमी है। समय आ गया है कि हमारे	राष्ट्रीय बागवानी मिशन आरम्भ करने संबंधी एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		किसानों को बागवानी, फूलों की और तिलहनों की खेती जैसे क्षेत्रों को अपनाकर कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। दूध और दुग्ध उत्पादों में आनंद माडल बहुत अधिक सफल रहा है, सरकार का एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरु करने का प्रस्ताव है। इसका लक्ष्य बागवानी उत्पादन को 150 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से दुगना करके 2011-12 तक 300 मिलियन टन करना है। मैं इस मिशन की शुरुआत करने में सरकार के साथ हाथ मिलाने के लिए राज्यों को आमंत्रित करता हूं। राज्यों को, आनंद माडल का अनुकरण करने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तरीय सहकारी समिति की स्थापना करने जैसे कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	
24.	**42**	तिलहन एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गत वर्ष हमने 25 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन किया परन्तु हमने 2.5 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का खाद्य तेल का आयात भी किया। सरकार उत्तम कोटि की बीज-प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देकर और मूल्य समर्थन की उपयुक्त नीति के माध्यम से किसानों के लिए तिलहन की खेती करना सुविधाजनक बनाएगी।	न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य होने की स्थिति में तिलहन तथा दालों की अधिप्राप्ति केन्द्रीय एजेंसी नेफैड द्वारा की जाती है। तिलहनों, दालों, तेल तथा मक्का संबंधी एकीकृत योजना (आईएसओपीओएम) को कार्यान्वित किया जा रहा है तथा 2004-05 के लिए 252.72 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। खाद्य तिलहनों जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, रेपसीड/सरसों आदि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की स्वीकृति के पश्चात प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस वर्ष सभी खाद्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है तथा काफी पहले ही इसकी घोषणा की जा चुकी है। इससे तिलहनों द्वारा कवर किए गए क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए।
25.	**43**	भारत को सभी उत्पादों, विशेषकर कृषि उपजों के लिए एक एकल बाजार बनना चाहिए। कृषि उत्पाद विपणन समितियों को शासित करने वाले मौजूदा कानूनों की उपयोगिता अब समाप्त हो चुकी है। सरकार ने एक मॉडल कानून परिचालित किया है। अब तक दस राज्यों ने मॉडल कानून की तर्ज पर 'प्रत्यक्ष विपणन' और 'संविदा कृषि' के लिए वैधानिक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरु की है। मैं सभी राज्यों से यथाशीघ्र मॉडल कानून बनाने का आग्रह करता हूं।	राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे फरवरी, 2005 तक अपने कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम (एपीएमसी एक्ट) की संशोधन संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लें। इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए जिन राज्यों द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है वे हैंः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल। कृषि संबंधी विपणन सरंचनात्मक परियोजनाओं के विकास हेतु एक नई सुधारात्मक केन्द्रीय योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत, जो राज्य माडल कानून में प्रस्तावित एपीएमसी एक्ट के सुधारों की शुरूआत करेंगे, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के संचालन संबंधी दिशानिर्देश सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित कर दिए गए हैं।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
26.	**44**	***अनुसंधान और विकास*** कृषि अनुसंधान और विकास एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) एक ऐसी योजना का लाभार्थी है जिसके अंतर्गत आईसीएआर द्वारा अर्जित प्रत्येक वाणिज्यिक रुपए के बराबर, वर्धित रुप से बजट से एक और रुपया उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त आईसीएआर को ऐसी परियोजनाओं के संबंध में जो वाणिज्यिक रुप से सक्षम हैं, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड से निधियां प्राप्त होती हैं। कृषि अनुसंधान का तेजी से जैव-प्रौद्योगिकी, वैक्सीन और निदान शास्त्र जैसे नए क्षेत्रों में विस्तार किया जाना चाहिए। शुष्क भूमियों और असिंचित क्षेत्रों में खेती पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। 2004-05 के लिए आवंटन 1000 करोड़ रुपए है (जिसमें बजट अनुमान 2003-04 में 775 करोड़ रुपए से वृद्धि की गई है) और मैं वर्ष के दौरान और अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं।	"शुष्क भूमि वर्षापोषित कृषि प्रणाली पोषणीयता संवर्धन" नामक एक नई योजना तैयार की गई है। इस योजना को देश के बंजर तथा अर्ध-बंजर इलाकों विशेषकर जिन जिलों में 750 मि. मी. वार्षिक से कम वर्षा होती है तथा बुआई वाले क्षेत्र के 30 प्रतिशत से कम हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था होती है,में कार्यान्वित किया जाएगा।
27.	**45**	***कृषि कारोबार*** वर्ष 1994 में लघु कृषक कृषि कारोबार सहायता संघ (एसएफएसी) की स्थापना हुई थी। यद्यपि एसएफएसी ने वर्ष 1998 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था, लेकिन इसकी आधारभूत निधि में 10.95 करोड़ रुपए की स्वल्प राशि थी। मेरी दृष्टि में, एसएफएसी को परियोजनाओं के संचालन हेतु-जोखिम पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए और पूर्णतया कारोबार की तर्ज पर तरज़ीही तौर पर किसी बैंकर द्वारा इस सहायता संघ का संचालन किया जाना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान फाउंडेशन ने ऐसे 13 जिलों की पहचान की है जहां कृषि-कारोबार की भारी सम्भावना है और लगभग 170 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। कृषि मंत्रालय ने एसएफएसी की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की है जिसमें मुख्य कार्यपालक के तौर पर बैंकर की नियुक्ति करना भी शामिल है। मैं अपनी ओर से एसएफएसी को आवश्यक अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं जिसकी-आवश्यकता उसे कृषि-कारोबार को तेजी से प्रोत्साहित करने हेतु है।	लघु कृषक कृषि कारोबार संघ (एसएफएसी) ने जोखिम पूंजी भागीदारी के माध्यम से कृषि कारोबार के लिए एक व्यापार योजना बनाई है।
28.	**46**	***जोखिम कम करना*** कृषि बीमा कम्पनी (एआईसी) को दिसम्बर, 2002 में निगमित किया गया था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) जो उपज अथवा फसल का बीमा	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) जो इस समय कार्यान्वयनाधीन है, उसे ग्राम पंचायत को बुनियादी यूनिट मानते हुए बीमांकक आधार पर संशोधित किया जा रहा है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करती है, रबी 1999-2000 से प्रचालन में है। एआईसी योजना को नए सिरे से तैयार कर रही है। हम स्कीम से जुड़े रहेंगे तथा एक अन्य मूल्यांकन करेंगे। इस बीच, रबी 2003-04 के दौरान 12 राज्यों के 19 जिलों में कृषि आय (फसल के बजाए) के बीमा की एक प्रायोगिक-योजना प्रारम्भ की गयी है। सरकार ने इसकी व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने हेतु इस योजना को खरीफ 2004 में विस्तारित करने का निर्णय लिया है। यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि मौसम बीमा योजना, कम से कम डिजाइन में, अपेक्षाकृत अधिक सम्भावना पूर्ण प्रतीत होती है। एआईसी चालू फसल मौसम में 20 वर्षा मापक केन्द्रों में प्रायोगिक आधार पर इस योजना को प्रारम्भ कर रहा है। इस चरण में यह कहना कठिन होगा कि तीन योजनाओं में कौन सी योजना सफल होगी। कृषि बीमा तथा मवेशी बीमा जटिल उत्पाद हैं तथा इन्हें सावधानी से तैयार करना होगा। मैं कृषि तथा मवेशी को बीमा कवर उपलब्ध कराने की सरकार की वचनबद्धता को पुनः दोहराता हूं।	पशुधन को बीमा कवर मुहैया कराए जाने की स्कीम को भी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी दौरान, प्रायोगिक आधार पर कृषि आय बीमा योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो इसे संशोधित करने के लिए एक मूल्यांकन किए जाने का भी प्रस्ताव है।
29.	**48**	***अंतर-सांस्थानिक समूह*** विद्युत क्षेत्रक में एक अंतर-स्थानिक समूह 6 विद्युत परियोजनाओं का वित्तीय-समापन करने में सफल हो गया है। अन्य 10 परियोजनाएं वित्तीय-समापन प्राप्त करने के कगार पर हैं। इस अवधारणा का विस्तार कुछ अन्य आधारभूत सुविधा क्षेत्रकों में किया जा सकता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईडीबीआई., आईडीएफसी., आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई., एलआईसी., बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक ने एक अंतर-सांस्थानिक समूह (आईआईजी) का गठन कर लिया है। वह अपने संसाधनों को तुरंत आधार पर "पूल" करेंगे और जब भी आवश्यक होगा, 40,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करा दी जाएगी। आईआईजी ऋण करारों का शीघ्र निष्पादन और आधारभूत सुविधा परियोजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। प्रारंभ में विमानपत्तन, बन्दरगाह और पर्यटन आईआईजी के लक्ष्य-क्षेत्रक होंगे।	अन्तर सांस्थानिक समूह, जिसमें आई डी बी आई, आई डी एफ सी, आई सी आई सी आई बैंक, एस बी आई, एल आई सी, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक शामिल हैं, स्थापित किया गया है। प्रत्येक अन्तर-सांस्थानिक समूह के लिए,समूह के अग्रणी के रूप में एक संस्था की पहचान कर ली गयी है जिसका उत्तरदायित्व अन्य सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। क्षेत्र-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैः- **अग्रणी संस्था** — **क्षेत्र** आई डी बी आई/एस बी आई — समुद्र पत्तन आई डी एफ सी/एल आई सी — शहरी अवसंरचना आई डी एफ सी/एल आई सी — जलापूर्ति और सफाई आई डी एफ सी/आई डी बी आई — दूर संचार एस बी आई — विद्युत एस बी आई — पर्यटन आई सी आई सी आई — विमानपत्तन आई डी बी आई/आई सी आई सी आई — सड़कें
30.	**49**	राजीव गांधी पेयजल मिशन को "मिशन मोड" के रुप में कार्यान्वित करने का इरादा था। परन्तु हाल के वर्षों में नये कार्यक्रम उभर कर आये हैं और मूल मिशन को भुला दिया गया है। 75,000 से अधिक निवासों को अभी भी पर्याप्त पेय जल उपलब्ध कराया	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए सभी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों का संचालन करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। वर्ष 2004-05 के दौरान (4.2.2005 तक) 31355 ग्रामीण बस्तियों को कवर किया गया।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जाना है। सरकार का इरादा सभी पेयजल स्कीमों को राजीव गांधी पेयजल मिशन के संरक्षण में लाना है।	
31.	**50**	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को चालू वर्ष में 2610 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं। यह जल संसाधनों के नवीकरण और शामिल न किये गये तथा आंशिक रुप से शामिल किये गये निवासों को सुविधा प्रदान करने पर केन्द्रित होगा। पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकारों के परामर्श से ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाने, कार्यान्वित करने, स्वामित्व रखने, संचालन और अनुरक्षण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को एआरडब्ल्यूएसपी के कार्यान्वयन के लिये निधियों की सुपुर्दगी की जाएगी।	पंचायती राज संस्थाओं की अन्तर्ग्रस्तता को संस्थागत स्वरूप देने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों को क्षेत्रक स्थिति का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया है। चार राज्यों ने अध्ययन पूरे कर लिए हैं।
32.	**52**	चेन्नई नगर तथा अन्य बहुत से नगरों में पेयजल का अत्यधिक संकट है। चैन्नई के निकट, राज्य क्षेत्र में, पहला विशाल विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा कोरोमंडल तट पर ऐसे और भी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 300 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) की क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र पर 1000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है तथा पारेषण पाइपलाइनों और सीमित विद्युत संयंत्र के लिए अल्प लागत भी आएगी। प्रस्ताव है कि इस परियोजना को सरकारी-निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किया जाए।	चैन्नई में परियोजना के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत किया जाने की अन्तिम तारीख को 16 फरवरी, 2005 तक बढ़ा दिया था। बोलियों का मूल्यांकन करने के पश्चात् सफल बोलीदाता का निर्धारण किया जाएगा। कीलाकारी और रामानाथपुरम के संबंध में संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 28 जनवरी, 2005 को 17.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। पांडिचेरी और उड़ीसा से प्राप्त क्रमशः 10.74 करोड़ रुपए और 4.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उपर्युक्त विलवणीकरण संयंत्रों के लिए सरकार ने त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए यू डब्ल्यू एस पी) के अन्तर्गत परियोजना लागत के 50 प्रतिशत को स्वीकृत करने का निर्णय लिया है और केन्द्रीय हिस्से के 50 प्रतिशत की पहली किस्त जारी की जा रही है।
33.	**53**	***सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना*** सेतुसमुद्रम पोत नहर परियोजना भारतीय प्रायद्वीपीय लोगों का सपना नहीं बल्कि बहुप्रतीक्षित मांग है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरणीय अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर, द्वारा इस परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन को पूरा कर लिया गया है। यह संस्थान अब तकनीकी-आर्थिक एवं इंजीनियरिंग व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर रहा है तथा इस रिपोर्ट को शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है। नौवहन मंत्रालय का एक विशेष प्रयोजनी साधन (एसपीवी) आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस एसपीवी के द्वारा इस	सेतु समुद्रम निगम लि. नामक विशेष प्रयोजन साधन (एस पी वी) 6 दिसम्बर, 2004 को संस्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय चैन्नई में होगा। परियोजना के लिए आगे की सांविधिक स्वीकृतियां तूतीकोरिन पत्तन न्यास द्वारा ली जा रही हैं।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		परियोजना के लिए धनराशि जुटाई जाएगी तथा इक्विटी सहायता और ऋण-गारंटी के संयोजन के माध्यम से सरकार इस के निधिकरण में योगदान करेगी।	
34.	**54**	***अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतातंरण टर्मिनल (आईसीटीटी), वल्लारपदम*** सरकार द्वारा पत्तन अवसंरचना के विकास और विस्तार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में, अपर्याप्त ड्राफ्ट और कार्गो संचालन अवसंरचना के कारण तथा आंशिक रुप से स्थान संबंधी असुविधाओं के कारण, मुख्य मार्गों पर चलने वाले जलयान अक्सर भारतीय पत्तनों पर आने से बचते हैं। भारत से कंटनरों को पहले कोलंबो तक पोतांतरित किया जाता है और वहां से उन्हें अंतिम गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। अन्य प्रमुख भारतीय पत्तनों की तुलना में कोची को स्थान संबंधी लाभ प्राप्त है क्योंकि यह प्रमुख समुद्री मार्गों के अधिक नजदीक है। सरकार द्वारा कोची पत्तन में वल्लारपदम स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर पोतांतरण टर्मिनल की निर्माण सुविधा "बनाओ, परिचालन करो तथा अंतरित करो" (बीओटी) आधार पर प्रदान की जाएगी।	सरकार ने कोचीन पत्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पोतातंरण टर्मिनल (आईसीटीटी) के समयबद्ध कार्यान्वयन से संबंधित संशोधित प्रस्ताव को 13.1.2005 को अनुमोदित कर दिया है। सरकार ने आई सी टी टी स्थल के लिए रेल समपर्क तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और टर्मिनल पर ड्राफ्ट के सुधार हेतु केपीटल ड्रेजिंग परियोजना शुरु के लिए भी सिद्धान्त रूप में अनुमति प्रदान कर दी है। कोचीन पोर्ट ट्रस्ट तथा इंडिया गेटवे टर्मिनल प्रा. लि. जो दुबई पोर्ट इंटरनेशनल, दुबई, यू ए ई, की 100% सहायक कम्पनी है, के बीच कोचीन पत्तन पर आई सी टी टी बनाओ, चलाओ और अंतरित करो आदार पर 31.1.2005 को एक लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने 16 फरवरी, 2005 को इस परियोजना का शिलान्यास किया। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
35.	**56**	***ग्रामीण आवास*** आईएवाई को सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास निर्माण वित्त योजना अगस्त, 1997 में प्रारम्भ की गयी थी। इसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है और अब तक 10.26 लाख आवास इकाइयां वित्तपोषित हो गयी हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष लगभग 180,000 आवास इकाइयों पर ही इसका स्थिर रहना प्रतीत होता है। इस योजना को और प्रोत्साहन देने की जरुरत है। मुझे यह घोषणा करने में प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय आवास बैंक ने इस वर्ष 25 आधार-बिन्दुओं द्वारा पुनर्वित्तपोषण की दर को घटाने की पेशकश की है। भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण आवास निर्माण हेतु बैंकों द्वारा ऋण की वापसी अदायगी के मानदंडों को संशोधित करने हेतु सहमत हो गया है ताकि किश्तों का मेल फसल चक्रों से हो। ग्रामीण आवासन के लिए ऋण प्रदान करने में सबसे बड़ी बाधा जोत के सम्बन्ध में उपयुक्त मालिकाना हक का न होना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रतिभूति के सृजन को सरल रुप देने के लिए कानून बनाया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कानून का अनुसरण अन्य राज्यों द्वारा किया जाए। इन परिवर्तनों के साथ,	1 अप्रैल, 2004 से लागू होने वाली दर से 50 आधार बिंदुओं से कम पर राष्ट्रीय आवास बैंक से कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को पुनर्वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध है। स्वर्ण जंयती ग्रामीण आवासन वित्त स्कीम के अन्तर्गत 2004-05 के दौरान 2.50 लाख आवास यूनिटों को वित्त पोषित किए जाने के लक्ष्य के संबंध में एनएचबी ने पहले से ही बैंकों और आवासन वित्त कम्पनियों के लक्ष्य निर्धारित कर दिए हैं। अप्रैल से दिसम्बर, 2004 को समाप्त हुई अवधि के लिए जी जे आर एच एफ के अन्तर्गत 1,70,205 आवास इकाइयों की प्रगति हुई जबकि वार्षिक लक्ष्य 2,50,000 इकाइयों का है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मुझे विश्वास है कि प्रतिवर्ष 250,000 ग्रामीण आवासन इकाइयों के उच्च लक्ष्य को निर्धारित करना सम्भव हो जाएगा।	
36.	**57**	**उद्योग** भारत में निवेशकों के लिए आकर्षक माहौल पैदा करना मेरा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मैं एक निवेश आयोग की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। इस आयोग को भारत में निवेश करने हेतु घरेलू तथा विदेशी कारोबारियों को आकर्षित करने, उनसे वार्तालाप करने तथा उन्हें आमंत्रित करने के सम्बन्ध में सरकार की ओर से व्यापक प्राधिकार प्राप्त होगा। इस आयोग की अध्यक्षता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने एक उपयोगी भूमिका निभाई है और अभी भी यह प्रस्तावित निवेश के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सहमति प्राप्त करने के लिए एक-स्थानिक केन्द्र (वन-स्टॉप सेंटर) के रुप में कार्य करता है। सरकार का विश्वास है कि एफआईपीबी के अनेक कार्यों को ऑटोमेटिक रुट पर रखा जा सकता है और एफआईपीबी को एक एकल-स्थानिक सेवा केन्द्र और सुविधा केन्द्र के रुप में बदला जा सकता है। घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने का कार्य प्रस्तावित निवेश आयोग द्वारा किया जाएगा।	सरकार ने एक निवेश आयोग का गठन किया है। निवेश आयोग के अध्यक्ष व दो सदस्यों की नियुक्ति की अधिसूचना 13.12.2004 को की गई थी और आयोग ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
37.	**58**	सरकार का एक राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धात्मकता परिषद की स्थापना करने का प्रस्ताव है। यह परिषद विनिर्माण उद्योगों की अभिवृद्धि को ऊर्जित करने और उसमें निरन्तरता लाने हेतु नीतिगत विचार-विमर्श का एक सतत मंच होगी। परिषद से विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाने को कहा जाएगा। परिषद प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि के लिए उद्योग अथवा क्षेत्रक-विशिष्ट नीतिगत उपायों की सिफारिश भी करेगी।	सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद का गठन कर दिया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
38.	**59**	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) से विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ जुड़ने की सम्भाव्यता है। राष्ट्रीय साझा-न्यूनतम कार्यक्रम में यह घोषणा की गई है कि विशेषकर बुनियादी ढांचा, उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित और सक्रिय रुप से आकर्षित किया जाता रहेगा। अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। ये हैं दूर संचार, नागरिक उड्डयन और बीमा। इन क्षेत्रकों में विशाल मात्रा में पूंजी का निवेश	भारत सरकार ने नवंबर, 2004 में "हवाई यात्रा सेवा (स्वदेशी एयरलाईन्स)" में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमाओं को बढ़ा दिया है जिसके लिए सीमा स्वचालित मार्ग से 49 प्रतिशत और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) द्वारा स्वचालित मार्ग से 100 प्रतिशत है। विदेशी एयरलाईनों द्वारा किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इक्विटी प्रतिभागिता की अनुमति नहीं है। सरकार ने दूर संचार क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की उच्चतम सीमा को भी बढ़ा कर 74% कर दिया है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		करने की तात्कालिक आवश्यकता है। अतः मैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए क्षेत्रकवार अधिकतम सीमा बढ़ाकर दूर-संचार में 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत; नागरिक उड्डयन में 40 प्रतिशत से 49 प्रतिशत; और बीमा में 26 प्रतिशत से 49 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।	
39.	**60**	**पूंजी बाजार** सरकार पूंजी बाजारों के व्यवस्थित विकास और कामकाज के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजी बाजारों को व्यापक बनाने तथा विनियामक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ऐसे कुछ संकेत हैं कि खुदरा निवेशक पूंजी बाजार में लौट रहे हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अन्य उभरते हुए बाजारों की तुलना में भारत के प्रति सुस्पष्ट तरजीह दर्शाई है। भारतीय पूंजी बाजार को सुदुढ़ और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिये मैं यह प्रस्ताव करता हूँ:-	
		* विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये पंजीकरण और प्रचालन प्रक्रियाओं को सरलतर और शीघ्रतर बनाना;	सेबी द्वारा बैंकों और उनकी सहायक कंपनियों के मामले के सिवाय, पंजीकरण हेतु विदेशी संस्थागत निवेशकों के आवेदनों के प्रक्रियान्वयन हेतु लगने वाला कुल समय 13 कार्यदिवस से घटाकर 7 कार्य दिवस कर दिया गया है।
		* ऋण निधियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिये निवेश की अधिकतम सीमा 1 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 1.75 बिलियन अमरीकी डालर करना।	* सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ऋण निधियों में निवेश के बारे में नवंबर, 2004 में एक परिपत्र भी जारी किया है।
		* बैंकों को पूंजी बाजार में अपने ऋण जोखिम में सशक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों के साथ अधिक छूट देना।	* पूंजी बाजार उद्भासन की प्रक्रिया को आरबीआई द्वारा संशोधित किया गया है जिसका परिणाम अपेक्षाकृत उच्च हेड रुम है। तदनुसार, उन बैंकों के मामलों की, जिन्होंने आरबीआई से उच्चतर सीमा के लिए विशिष्ट अनुरोध किया था, की जांच की गई तथा एक बैंक के संबंध में उच्चतर पूंजी बाजार उद्भासन सीमा को अनुमोदित कर दिया गया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
		* पूंजी बाजार से इक्विटी और ऋण जुटाने के लिये छोटे और मझोले उद्यमों (एस.एम.ई.) हेतु एक वैकल्पिक व्यापार प्लेटफार्म बनाना; और	* प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, एससी(आर)ए को संशोधित किया गया है। बीएसई का इंडोनेक्सट 7 जनवरी, 2005 को शुरु किया गया था। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
		* वस्तु बाजारों और प्रतिभूति बाजारों के एकीकरण के लिये कदम उठाना।	* कार्यकारी समूह तथा कृतिक बल की अनुशंसाओं के परिणामस्वरुप, विधायी, विनियामक, एवं संक्रमण संबंधी मुद्दों की जांच करने के लिए विचारविमर्श किए गए हैं। मुद्दे की महत्ता के मद्देनज़र कार्य रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पूर्व आगे वार्ता जारी रहेगी।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		इन मामलों के संबंध में आर.बी.आई. और "सेबी" आवश्यक उपायों की घोषणा करेंगे। मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी है कि "सेबी" दीर्घकाल से चले आ रहे दलालों के शुल्क के मुद्दे को हल करने में सफल रहा है और दलाल इस बारे में शीघ्र एक घोषणा की आशा कर सकते हैं।	सेबी (ब्याज देयता नियमितिकरण) स्कीम, 2004 दिनांक 15 जुलाई, 2004 को शुरु की गई थी।
40.	**61**	अनेक असली विदेशी सांस्थानिक निवेशक परिसंपत्ति प्रबन्धकों और वित्तीय विश्लेषकों के व्यावसायिक निकाय हैं जो इक्विटी पूंजी प्रवाह बढ़ा सकते हैं और पूंजी-बाजारों को व्यापकता प्रदान कर सकते हैं। एक अंतर-मंत्रालयी समिति ने कतिपय विनिर्दिष्ट क्षेत्रकों में विदेशी संस्थागत निवेशों की सीमाओं के उदारीकरण की सिफारिश की है। मैं संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से इन सिफारिशों की जांच एवं कार्यान्वयन का प्रस्ताव करता हूँ।	विनिर्दिष्ट क्षेत्रकों के सिवाय उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गठित लाहिड़ी समिति की अनुशंसाएं जांचाधीन हैं जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों के पोर्टफोलियों निवेशों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु क्षेत्रक सीमाओं की शर्त नहीं लगाई जाएगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहन दिया जाना जारी रहेगा जबकि सट्टाकारी पूंजी के प्रवाह के प्रति वित्तीय प्रणालियों की दोषपूर्णता को कम किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।
41.	**62**	राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में सरकार की नीति की घोषणा की गई है। हालांकि , रुग्ण सरकारी उपक्रमों के कारण बहस तो बहुत हुई हैं लेकिन जिन सरकारी उपक्रमों की हालत अच्छी है, उन पर पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। मुझे यह घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार 2004-05 के दौरान केन्द्र सरकार के उपक्रमों (रेलवे सहित) को 14,194 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता तथा 2132 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करेगी। मुख्य निवेश विद्युत, दूरसंचार, रेलवे, सड़कों, पैट्रोलियम, कोयला तथा नागर विमानन से जुड़े सरकारी उपक्रमों में किए जाऐंगें। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत सुदृढ़ तथा प्रभावी सरकारी क्षेत्र के संबंध में सरकार की गहन वचनवद्धता की प्रशंसा करेंगे।	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों हेतु अलग से रखी गई कुल 14,194 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता (बजटीय सहायता) में से 6919 करोड़ रुपए की राशि रेलवे को उपलब्ध कराई गई है। इसमें विशेष रेलवे सुरक्षा निधि (एसआरएसएफ) में अंशदान के रूप में 2075 करोड़ रुपए, उधमपुर-श्रीनगर-बारामुल्ला नई लाईन की राष्ट्रीय परियोजना हेतु 300 करोड़ रुपए और रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं/ निर्माण कार्यों हेतु शेष 4544 करोड़ रुपए शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में केंद्रीय विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को सकल बजटीय सहायता 3600 करोड़ रुपए है। वर्ष 2004-05 के दौरान 8 फरवरी, 2005 तक 1,372.72 करोड़ रुपए विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के 3 उपक्रमों के लिए इक्विटी के रूप में जारी किए गए हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयरलाईन्स में अतिरिक्त इक्विटी सन्निवेशन उनकी बेड़ा अर्जन योजनाओं से जुड़ा है जिन्हें अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है।
42.	**63**	**सरकारी क्षेत्रक** निश्चय ही सरकारी क्षेत्र का एक दूसरा पहलू भी है। इस पहलू में समस्याओं का घेरा है तथा हम इन समस्याओं को जिम्मेदारी और साहस के साथ दूर करेंगे। विनिवेश तथा निजीकरण उपयोगी आर्थिक साधन हैं। हम अपनी घोषित नीति के अनुरूप विशिष्टता से इन साधनों का प्रयोग करेंगे। पहले कदम के रूप	दिनांक 6.12.2004 के संकल्प द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		में, मैं सरकारी क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं। यह बोर्ड सरकार को सरकारी उपक्रमों के पुनर्गठन हेतु किए जाने वाले उपायों, जिनमें विनिवेश अथवा समापन अथवा बिक्री को न्यायसंगत ठहराया जाता है, जैसे मामले भी शामिल होंगे, के बारे में सरकार को परामर्श देगा।	
43.	**64**	हमारी नवरत्न कंपनियों में एक राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी जुटाने हेतु सेबी के समक्ष विवरण प्रस्तुत किया है। इसके परिणामस्वरूप एन.टी.पी.सी में सरकार की धारिता कुछ कम हो जाएगी। अपनी धारिता का मूल्य प्राप्त करने तथा उक्त कमी को पूरा करने के लिए सरकार का इरादा एन.टी.पी.सी के सार्वजनिक निर्गम के संबंध में आवश्यक साथ-साथ सहायता करने तथा अपनी धारिता के लगभग पांच प्रतिशत भाग का विनिवेश करने का है। इस तथा कुछ अन्य मामलों, जो विचाराधीन हैं, से चालू वर्ष के दौरान 4000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। जबकि ये विनिवेश राजस्व भारत की समेकित निधि का हिस्सा होंगे, 2005-06 का बजट प्रस्तुत करते समय मैं सदन को इस बात की सूचना दूंगा कि उपरोक्त राजस्व का निर्दिष्ट सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में किस प्रकार उपयोग किया गया है अथवा किया जाएगा।	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के 432,915,000 इक्विटी शेयरों का नया निर्गम और भारत सरकार के कंपनी में 432,915,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री के प्रस्ताव वाली आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 7.10.2004 को शुरु की गई थी। इस निर्गम में 13.17 गुणा ज्यादा अभिदान मिला। एनटीपीसी ने 2684.07 करोड़ रुपए की राशि अपने पास रखे और 2684.07 करोड़ रुपए अब नवंबर, 2004 में भारत सरकार को अदा कर दिए गए हैं। विनिवेश प्राप्तियों का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना को भी अनुमोदित कर दिया है जो 2005-06 में प्रचालनात्मक हो जाएगी।
44.	**66**	मुझे यह घोषणा करते हूए प्रसन्नता हो रही है कि मैंने पुनःसंरचना के कार्य को पूर्ण गंभीरता से लिया है। हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड की पुनःसंरचना हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय टेलीफोन उद्योग (आई.टी.आई.) के लिए एक बचाव पैकेज तैयार किया गया है तथा आई.टी.आई. को बी.आई.एफ.आर. के जाल से बाहर रखने के लिए 508 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित पुनर्वास योजना सरकार द्वारा सक्रिय जांचाधीन है। सरकार ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. (आईटीआई) के लिए पुनरुद्धार योजना को अनुमोदित कर दिया है जिसमें 1,001.1 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज शामिल है। बजट भाषण में घोषित आईटीआई को 508 करोड़ रुपए का पैकेज संशोधित वित्तीय पैकेज का एक हिस्सा है। 508 करोड़ रुपए की राशि 24 दिसम्बर, 2004 को जारी की गई थी। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
45.	**67**	**लघु उद्योग** लघु उद्योग अभिवृद्धि का साधन है और इसे माना भी जाना चाहिए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इकाइयों को मध्यम उद्यमों के रूप में बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। लघु और मध्यम उद्यमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पूरे विश्व में नीतियां बनाई गई हैं।	सरकार ने लघु क्षेत्र में अनन्य विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की सूची में से 85 मदों (जिनमें 15 उप मदें शामिल हैं) को अधिसूचना द्वारा हटा दिया है। इस अधिसूचना के साथ लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों की कुल संख्या 605 रह गई है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लघु उद्योग मंत्रालय ने 85 मदों की पहचान की है जिन्हें आरक्षित सूची से सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है।	
46.	**67**	इससे भी बढ़कर, यह महसूस किया गया है कि लघु उद्योग इकाइयों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में व्यवसाय करने की अत्यावश्यक जरुरत है। मैंने पूंजी सब्सिडी योजना की पनुरीक्षा की है और मैं इस योजना के अन्तर्गत उच्चतम सीमा 40 लाख रूपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। सब्सिडी की दर भी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की जाएगी। इस योजना में और उप-क्षेत्रकों तथा सहायता के लिए पात्र प्रौद्योगिकियों को जोड़कर इसके क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। लघु उद्योग इकाइयों को क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहत किया जाएगा। मुझे आशा है कि इन उपायों से अनेकानेक लघु उद्योग इकाइयां इस पुनःसंरचित योजना से लाभ उठाएंगी। "लघु उद्योग योजना को बढ़ावा" देने के लिए 135.24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और उस राशि के अंतर्गत पूंजी सब्सिडी योजना हेतु निधियां मिल सकेंगी।	सरकार के अनुमोदन से योजना का क्षेत्र विस्तारित किया गया था। मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऋणों तथा सब्सिडी के लिए उच्चतम सीमा को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।
47.	**68**	**परम्परागत उद्योगों का पुनरुद्धार** हमारे कुछ परंपरागत उद्योग नामतः नारियल जटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन, चमड़ा, मिट्टी के बर्तन बनाने और अन्य कुटीर उद्योगों में अभिवृद्धि व निर्यात की विपुल संभाव्यता ही नहीं, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। तदनुसार, परंपरागत उद्योगों के पुनरूद्धार हेतु 100 करोड़ रूपए के आरंभिक आवंटन के साथ एक निधि की स्थापना की जाएगी। इस निधि के उपयोग के लिए तंत्र सहित ब्यौरे संबंधित उद्योगों के साथ परामर्श से तैयार किए जाएंगे।	परम्परागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि को प्रचालनात्मक करने के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण परिकल्पित करने वाली योजना निर्माण के अंतिम चरणों में है। योजना का क्रियान्वयन 2005-06 में आरम्भ होने की संभावना है।
48.	**69**	**वैट** मूल्य वर्धित कर एक ऐसा कर है जिसका परीक्षण व जांच हुई है तथा पूरे विश्व में इसे लाभप्रद पाया गया है। देश को एक आधुनिक तथा सक्षम व्यापार कर प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं को शामिल किया गया हो। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को हुई बैठक, जिसमें सभी वित्त मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था और इसकी अध्यक्षता मेरे अनन्य मित्र डा. असीम दास गुप्ता ने की थी, में वैट लागू करने	राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की 18 जून, 2004 को हुई बैठक में 1 अप्रैल, 2005 से राज्य स्तर पर मूल्य वर्द्धित कर (वैट) लागू करने का संकल्प लिया गया। एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो वैट के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ रूप से कार्य करेगी। यह समिति प्रारंभ में 30 जून, 2005 तक के लिए नियुक्त की गई है। इस दौरान, वैट को शुरु किए जाने के कारण राजस्व हानि के मामले में राज्यों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		की राज्यों में मोटे तौर पर सहमति थी। इसके कार्यान्वयन हेतु 1 अप्रैल, 2005 की तारीख निर्धारित की गई है। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं व राज्य सरकारों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने अभी संगत वैट विधान पारित नहीं किया है उसे 2004 के अन्त तक पारित कर लें। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के साथ ही हरियाणा का अनुभव यह संकेत देता है कि वैट से राजस्व में वृद्धि होगी, इससे राजस्व में हानि नहीं होगी। तो भी राज्यों को सुखद स्थिति में रखने के लिए राजस्व की हानि, यदि कोई हो, की क्षतिपूर्ति निर्धारण हेतु एक सूत्र तैयार करने का प्रस्ताव करता हूं। मैंने राज्यों को एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सेवाओं की पेशकश की है। यह समिति निकटता से राज्यों के साथ काम करेगी और स्थिर रूप से क्रियान्वयन के चरण की तरफ जाने में उनकी मदद करेगी।	सूत्र अपनाया गया है:- (क) केन्द्र सरकार राज्यों को वर्ष 2005-06 में 100% क्षतिपूर्ति देगी, 2006-07 में 75% तथा 2007-08 के दौरान 50% क्षतिपूर्ति देगी यदि वैट की शुरुआत के कारण कोई हानि होती है। राज्य वैट को क्रियान्वित करेंगे तथा इसका सकल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पर्यवेक्षी प्रणालियां सुव्यवस्थित करेंगे। अधिकार प्राप्त समिति राज्यों को 1 अप्रैल, 2005 से वैट के क्रियान्वयन में सलाह देना तथा मार्गदर्शन देना जारी रखेगी। (ख) 2004-05 से शुरु करते हुए तथा पीछे की ओर चलते हुए राज्यों को अभिवृद्धि की औसत दर का परिकलन करने के लिए पूर्ववर्ती 5 वर्षों में से अपने 3 सर्वोत्तम वर्षों का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश 3 फरवरी, 2005 को सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के वित्त सचिवों को भेजे गए थे।
49.	**70**	**पेंशन सुधार** केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी, 2004 से, जो उस तारीख में या उसके बाद भर्ती किये गये हैं, एक "परिभाषित अंशदान" पेंशन स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के लिये एक विनियामक ढांचा प्रदान करने हेतु एक उचित कानून संसद में पेश किया जाएगा।	पैंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण अध्यादेश 29 दिसंबर, 2004 को प्रख्यापित किया गया था। इस अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए एक विधेयक संसद के बजट सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।
50.	**71**	**निर्यात संवर्धन** मेरे साथी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री इस महीने के अंत तक संसद के समक्ष एक नई व्यापार नीति पेश करेंगे। सरकार का यह विचार है कि विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) विकास के इंजन हैं जो विनिर्माण, निर्यातों एवं रोजगार में तेजी ला सकते हैं। निजी क्षेत्रक ने एस.ई.जेड. के विकास में काफी रूचि दिखाई है। पांच एस.ई.जेड. ने कार्य शुरू कर दिया है। एस.ई.जेड. के लिये एक विशेष राजकोषीय एवं विनियामक तंत्र की आवश्यकता है। वाणिज्य मंत्री विशेष आर्थिक जोन्स के विनियमन के लिये शीघ्र ही एक विधेयक पेश करेंगे और मेरा विश्वास है कि ऐसा कानून पारित करना विनिर्माण एवं निर्यातों का एक बड़ा केन्द्र बनने की हमारी अभिलाषा में एक कीर्तिमान साबित होगा।	नई विदेश व्यापार नीति 2004-09 की घोषणा 31 अगस्त, 2004 को की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक, 2004 के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है तथा इसे संसद के बजट सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा।
51.	**72**	**प्रतिभूतिकरण अधिनियम** वित्तीय परिसंपत्ति प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के उपबंधों की संवैधानिक	प्रतिभूति हित और ऋणों की वसूली कानून (संशोधन) के प्रवर्तन संबंधी अध्यादेश, 2004 (2004 का 5) 11.11.2004

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		वैधता को, धारा 17 की उपधारा (2) को छोड़कर, उच्चतम न्यायालय द्वारा बहाल किया गया है। इस फैसले के अनुसरण में अनेक बैंकों ने अनिष्पादनकारी परिसंपत्तियों की वसूली को तेज करने में संभावित रूप से उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है। उधारकर्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार के बारे में उच्चतम न्यायालय की चिन्ता उचित रूप से दूर करने और साथ ही साथ वसूली प्रक्रिया विलम्बित और बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियम के संगत उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है। बैंकों को देय ऋणों की वसूली और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 में, यदि आवश्यक हुआ, संबंधित संशोधन भी किये जायेंगे।	को प्रख्यापित किया गया जिससे प्रतिभूतिकरण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 का प्रवर्त्तन संशोधित हो गया है। अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तथा राष्ट्रपति ने 29.12.2004 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
52.	**74**	**ब्याज दरें** मेरा विश्वास है कि सभी ब्याज दरों को, एकाध अपवादों को छोड़कर, बाजार से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। एक ऐसी बचत योजना की आवश्यकता है जो वयोवृद्ध नागरिकों को बाजार-निर्धारित दर से अधिक प्रतिफल प्रदान करे। एक ऐसे बचत प्रपत्र की भी आवश्यकता है जो सभी नागरिकों को अधिक लम्बी अवधि के लिए बचत का एक जोखिम रहित अवसर प्रदान करे और इस प्रकार के प्रपत्र पर थोड़ी अधिक ब्याज दर मिलनी चाहिए। इन विवेचनों में सन्तुलन लाते हुए, मैं लघु बचत प्रपत्रों पर ब्याज की मौजूदा दरों में किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं करता हूं। इसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पीपीएफ, जीपीएफ और विशेष जमा योजना पर 8 प्रतिशत का ब्याज मिलेगा। वयोवृद्ध नागरिकों के लिए मैं वरिष्ठ नागिरक बचत योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें 9 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। अन्य सभी नागरिकों के लिए मैं भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं जिसपर 8 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर दी जाएगी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना अब आवश्यक प्रतीत नहीं होती है क्योंकि नई बचत योजना में वरिष्ठ नागरिकों को पर्याप्त रूप से कवर किया जाएगा।	दिनांक 2 अगस्त, 2004 को "वरिष्ठ नागरिक बचत योजना" अधिसूचित की गई थी। विशेष जमा योजना (एसडीएस) और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) पर 8 प्रतिशत की ब्याज दरें क्रमशः 12.3.2004 और 22.7.2004 को अधिसूचित की गई थी। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
53.	**75**	**सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार :** दसवीं योजना के दस्तावेज में योजना आयोग ने यह सुझाव दिया था कि खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रणाली का परीक्षण प्रायोगिक आधार पर किया जाना चाहिए। प्रत्येक पात्र परिवार एक निर्दिष्ट वितरण केन्द्र से खाद्य स्टाम्पों का मासिक कोटा प्राप्त करने का	स्कीम पर दिनांक 17.09.2004 को आयोजित राज्य खाद्य सचिवों के सम्मेलन और 28.10.2004 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा हुई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के चुनिंदा खंडों में प्रायोगिक आधार पर खाद्य टिकट योजना कार्यान्वित करना आरंभ

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		हकदार होगा और फिर इन स्टाम्पों का प्रयोग किसी खाद्य दुकान से खाद्यान्न खरीदनें में किया जा सकता है। मैं एक चयनित राज्य में दो या तीन परस्पर सटे जिलों में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्य वितरित करने के स्थान पर खाद्य स्टाम्प वितरित करने की प्रायोगिक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे पूरी आशा है कि कोई एक राज्य इस प्रयोग में केन्द्र सरकार के साथ सहयोग करने में आगे आएगा।	किया है। प्रचालनात्मक ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
54.	**76**	महिलाओं के एक दल ने मुझसे भेंट की तथा मुझसे आग्रह किया कि मैं लिंग बजटीय व्यवस्था पर विचार करूं। इसका अभिप्राय यह है कि बजट आंकड़े इस प्रकार से पेश किए जाएं कि बजट आवंटनों में लिंग संवेदनशीलताओं को स्पष्ट तौर पर उजागर किया जाए। "सरकारी लेनदेनों की वर्गीकरण प्रणाली" सम्बन्धी एक विशेषज्ञ समूह ने 6 जुलाई, 2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसने आंकड़ा संग्रहण की उचित प्रणालियों तथा बजट में उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में अपनी सिफारिश प्रदान की है। इस समूह ने समय-समय पर लाभ-स्थिति विश्लेषण को प्रारम्भ करने की भी सिफारिश की है। सरकार इन सिफारिशों की जांच करेगी तथा मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन वर्ष 2005-06 के बजट में करना मेरे लिए सम्भव होगा।	विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान संयुक्त रूप से ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, श्रम बुनियादी शिक्षा, लघु उद्योग, शहरी रोजगार एवं गरीबी अपशमन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं जनजातीय मामले की लोक व्यय रूपरेखा लिंग संवेदनशीलता, लाभ-स्थिति विश्लेषण करके समीक्षा करेंगे तथा विभिन्न विकास योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों में विशिष्ट बदलाव की सिफारिश करेंगे जिससे कि लोक व्ययों के महिला लाभार्थियों की कवरेज में सुधार लाया जा सके। वर्ष के दौरान महिलाओं को कम से कम 30% लाभ को सरणीबद्ध करने के उद्देश्य से योजना के प्राचलो में बदलाव किए जाएंगे।
55.	**77**	**सब्सिडीः** सात वर्ष पहले, मैंने संसद के समक्ष सब्सिडियों पर पहला दस्तावेज रखा था। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इस बात का संकल्प लिया गया है कि सभी सब्सिडियां पूर्णतः गरीबों तथा लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा शहरी गरीबों जैसे वास्तविक जरुरतमंद लोगों के लिए लक्षित होंगी। मैंनें राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान से कहा है कि वह इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक खाका तैयार करे। मुझे विश्वास है कि संसद के अगले सत्र में सदन के समक्ष मैं इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करूंगा।	"भारत में केन्द्र सरकार की सब्सिडियाँ" पर रिपोर्ट दिनांक 23.12.2004 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
56.	**78**	**राज्यों की वित्तीय व्यवस्था :** राज्यों को सहायता देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जुटाए गए करों का भारी अनुपात राज्यों को अन्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार राज्यों को ऋण भी प्रदान करती है। चालू वर्ष के बजट अनुमानों के प्रकाश में, मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष	राज्यों को अपने उच्च लागत सांस्थानिक ऋणों के विवरण बताने और उसके पुनर्वित्तपोषण के लिए विकल्प बताने के लिए सूचित किया गया है ताकि भारत सरकार आवश्यक अनुमोदन प्रदान करने में समर्थ हो सके। वर्ष के दौरान भा.रि.बैंक ने सलाह दी है कि हमें थोड़ा धीमी रफ्तार से आगे

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		हो रहा है कि केन्द्रीय करों तथा शुल्कों में राज्यों की भागीदारी ब.अ. 2003-04 में 63,758 करोड़ रुपए से बढ़कर 82,227 करोड़ रुपए हो जाएगी। हम दूसरे तरीकों से भी राज्यों की सहायता कर रहे हैं। उन तरीकों में एक है- ऋण अदला-बदली योजना। मैं ऋण अदला-बदली की सुविधा देने का प्रस्ताव करता हूं जिसके अंतर्गत राज्यों को नए ऋण लेने तथा अपने उच्च लागत वाले ऋणों की वापसी अदायगी नाबार्ड तथा अन्य एजेंसियों को करने की अनुमति होगी। मेरा यह भी प्रस्ताव है कि उन्हें मुक्त बाजार ऋणों में वृद्धि करने तथा केन्द्र सरकार के ऋणों पर उनकी निर्भरता घटाने की अनुमति देने के संबंध में राज्यों से परामर्श किया जाए। मैं परस्पर मुद्रा आधार पर राज्यों को विदेशी ऋण प्रदान किए जाने पर भी विचार करूंगा।	बढ़ने की जरूरत है क्योंकि राज्य की कागजी कार्रवाई के लिए बाजार की स्थिति पर नए अनुमोदन बहुत कम हैं। परिसमापन के सुधार के संबंध में राज्यों को ग्रामीण आधारभूत ढाँचा विकास निधि (आरआईडीएफ) ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु अतिरिक्त मुक्त बाजार उधार/अन्य वित्तों को उगाहने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्यों को अपने खुले बाजार से उधार लेने और केन्द्र सरकार से ऋणों पर निर्भरता घटाने के लिए विकल्पों पर उनकी टिप्पणियों हेतु एक संकल्पना पत्र परिचालित किया गया है। इस संबंध में बारहवें वित्त आयोग में भी सिफारिशें की गई हैं। उचित निर्णय जल्द ही लिए जाएँगें। उपर्युक्त के अलावा, परस्पर आधार पर राज्यों को विदेशी ऋण देने पर प्रस्ताव को भी राज्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया है। इसी बीच, 12वें वित्त आयोग में अन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की गई है कि केन्द्र को राज्यों को परस्पर मुद्रा आधार पर विदेशी सहायता प्रदान कराना चाहिए।
57.	**80**	केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 12.5 प्रतिशत ब्याज दर लगती थी। 2003-04 में इस दर को कम करके 10.5 प्रतिशत कर दिया गया । इस दर में और कटौती करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। 1 अप्रैल, 2004 से राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। इससे, केवल इसी वर्ष के दौरान राज्यों को 375 करोड़ रुपए का लाभ होगा।	राज्यों के ऋणों पर से ब्याज दर को 1 अप्रैल, 2004 से 10.5% से घटाकर 9% कर दिया गया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
58.	**81**	राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत यह वायदा किया जाता है कि विगत में बिहार, जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेजों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार में बहुत सी परियोजनाएं, जिनमें विद्युत, सड़कों, जलनिकासी तथा विस्थापित लोगों के पुनर्वास संबंधी परियोजनाएं भी शामिल हैं, काफी समय से लम्बित पड़ी हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के माध्यम से बिहार की सहायता की जाएगी। इसके लिए अभी 3225 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है तथा यदि आवश्यक हुआ तो इस राशि में वृद्धि की जाएगी।	बिहार के लिए विद्युत, सड़क संपर्क, सिंचाई, बागवानी, वानिकी और वाटरशेड जैसे विकास के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए 100% केंद्रीय सहायता सहित राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अधीन क्रियान्वयन के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है। 1000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से केन्द्रीय सहायता को, वास्तविक उपयोग के अंतर्गत, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ व्यवहार्य हो, केन्द्रीय अभिकरणों को परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में शामिल किया जाएगा। दसवीं योजना के दौरान 2531.35 करोड़ रुपए की सात परियोजनाएँ चिन्हित की गई हैं और राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई) के अधीन 621.12 करोड़ रुपए की राशि परियोजना लागत और ब्यौरेवार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु जारी की गई है। वर्ष 2004-08 हेतु जम्मू एवं कश्मीर के लिए 24,000 करोड़ रुपए की विकास और पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की गई है। इससे आर्थिक एवं सामाजिक आधारढांचे की मजबूती की जरूरत और जम्मू एवं कश्मीर के संतुलित विकास की व्यवस्था पर ध्यान दिया गया है। योजना में

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
			24000 नए रोजगार सृजित करना शामिल है। इस राशि का प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में किया जायेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्वोत्तर परिषद् और खत्म न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल द्वारा वित्त पोषित विकास योजनाओं का सक्रिय रूप के अनुवीक्षण कर रहा है।
59.	**82**	सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के शीघ्र विकास के लिये वचनबद्ध है। तदनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्कीमों और कार्यक्रमों के लिए अपने योजना बजट का कम से कम 10 प्रतिशत आबंटित करने का आदेश दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यय करने के लिये यह आबंटन 5823 करोड़ रुपए का होगा। इस 10 प्रतिशत के आबंटन से खर्च न की गई शेष धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के व्यपगत न होने वाले केन्द्रीय संसाधन पूल में अंतरित की जाएगी। चालू वर्ष में इस क्षेत्र की विशिष्ट परियोजनाओं एवं स्कीमों के लिये केन्द्रीय संसाधन पूल से 650 करोड़ रुपये प्रदान किये गये हैं जो 2003-04 के 550 करोड़ रुपए से अधिक हैं।	सरकार ने 650 करोड़ रुपए के चालू वर्ष के आवंटन के लिए पहले ही 492.44 करोड़ रुपए (25.1.2005 तक) स्वीकृत और जारी कर दिए हैं।
60.	**83**	सरकार जम्मू एवं कश्मीर राज्य को उचित योजना आकार के लिये विशेष सहायता प्रदान करेगी। काफी समय से लंबित बागलीहार परियोजना के लिये भी यह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार भी बैंक आफ जम्मू एण्ड कश्मीर के साथ वर्तमान ओवरड्राफ्ट करार से भारतीय रिजर्व बैंक की अर्थोपाय स्कीम में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने हेतु राज्य को 300 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करने के लिये सहमत हो गई है।	योजना आयोग ने जम्मू एवं कश्मीर हेतु वर्ष 2004-05 के लिए योजना के वित्त पोषण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 750 करोड़ रुपए और विशेष आयोजना सहायता के रूप में 500 करोड़ रुपए अनुमोदित किए हैं। जम्मू एवं कश्मीर की सरकार को पहले ही 500 करोड़ रुपए की विशेष आयोजना सहायता जारी की जा चुकी है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा निधियों के संवितरण में 1:3 के अनुपात में संवितरित की जाने वाली 300 करोड़ रुपए की बगलीहार परियोजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को पहले ही अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है (वित्तीय संस्था निधियों को केन्द्र की ओर से निधियाँ)।
61.	**85**	**पिछड़ा राज्य आयोग :** मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार 25,000 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि (कार्पस) के साथ एक पिछड़े राज्य अनुदान निधि की स्थापना करेगी और यह धनराशि 5 वर्ष की अवधि में प्रदान की जाएगी। लगभग 1800 करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय वाली मौजूदा पिछड़े जिले पहल योजना का जहां इस अनुदान निधि में विलय किया जाएगा, वहीं 5,000 करोड़ रुपए के वार्षिक अंशदान के लिए अपेक्षित शेष राशि को योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता में से चिह्नित किया जाएगा। आशा है कि इससे एक निश्चित	वर्ष 2005-06 में राज्य आयोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के तहत पिछड़े राज्यों के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय असंतुलनों के विषयों के समाधान के लिए सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तर मंत्रालनीय कार्य-दल का गठन किया गया है। निधि के प्रचालन के संबंध में समूह की सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		समयावधि में देश के निर्धनतम और सबसे पिछड़े जिलों में सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा कार्यक्रमों को आरम्भ किया जा सकेगा। यह निधि वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रचालन में आएगी। आगे के ब्यौरे योजना आयोग के साथ परामर्श से तय किए जाएंगे।	
62.	**86**	राष्ट्रीय साझा न्यनूतम कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए वायदे के अनुसार, सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण में होने वाले सभी विलम्बों को समाप्त करने के लिए, कटिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंधी पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति का सम्मान करते हुए, इस वर्ष उच्च आवंटन करना आवश्यक हो गया है। तद्नुसार, मैं रक्षा के लिए आवंटन को बढ़ाकर 77,000 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 65,300 करोड़ रुपए की तुलना में) करने का प्रस्ताव करता हूं जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए 33,483 करोड़ रुपए (बजट अनुमान 2003-04 के 20,953 करोड़ रुपए की तुलना में) का आवंटन भी शामिल है।	बजट अनुमान 2004-05 में आवंटन को पहले ही संशोधित करके 77,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। **(कार्रवाई पूर्ण हो गई है)**
63.	**88**	बजट तैयार करते समय मैनें पाया कि आयोजना गत स्कीमों की बहुलता है। इन स्कीमों की संख्या, किस्म और यहां तक कि वे संक्षिप्ताक्षर जिनसे इन्हें जाना जाता है, विभ्रमकारी हैं। मैंने यह भी पाया कि कई ऐसी स्कीमें हैं जिनके उद्देश्य लगभग एक से हैं। कुछ मामलों में सभी स्कीमें एक ही मंत्रालय या विभाग में अवस्थित थीं, अन्य मामलों में वे अलग-अलग मंत्रालयों या विभागों के बीच बंटी हुई थीं। आयोजना स्कीमों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है- केन्द्रीय क्षेत्रक, राज्य क्षेत्रक और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह अपेक्षित है कि राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे परिवार योजना के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें राज्यों को अंतरित की जाएंगी। सौभाग्यवश एक नया योजना आयोग हमारे सामने है और मुझे विश्वास है कि योजना आयोग योजनाओं के इस उलझाव को व्यवस्थित करेगा।	योजना आयोग ने चल रही सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के हस्तान्तरण/युक्तिकरण/संवीक्षा का कार्य आरम्भ कर दिया है। वार्षिक योजना 2005-06 से अट्ठासी (88) आयोजनाओं का हस्तारन्तरण/विलय/बन्द करना/पुनः वर्गीकरण करने के लिए पता लगाया गया है।
64.	**152**	मैने अपने कर प्रस्तावों के अलावा, राजस्व के एक दूसरे स्रोत को भी देखा है। प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों, दोनों में भारी वसूली योग्य बकाया धनराशियां हैं। यहां तक की अविवादित बकाया धनराशियां भी काफी पर्याप्त हैं। अतः मैं यह मानता हूं कि इस वर्ष में इस धनराशि को वसूल करने में समर्थ रहूंगा। एक विशेष बहुमुखी अभियान इस बकाया धनराशियों की वसूली के लिए चलाया जाएगा जिसके विवरणों की घोषणा बाद में की जाएगी।	अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष करों की बकाया राशियों की वसूली पर कार्य दलों का गठन किया जा चुका है और राजस्व की एक अच्छी खासी राशि की वसूली हुई है।